(ग) क्या सरकार चावल व चीनी पर राज-सहायता कम करने पर विचार कर रही है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) वर्तमान में चीनी अथवा चावल का निर्यात करने विषयक कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। तथापि, प्रणाली तरजीह कोटे (सिस्टम प्रिफेरेंशियल कोटा) के तहत चालू वर्ष में 0.8 लाख टन चीनी का निर्यात करने की संभावना है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल—दिसंबर, 1998 की अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लेवी चीनी के वितरण संबंधी राजसहायता पर खर्च 290.84 करोड़ रुपये था। इसी अवधि के दौरान चावल संबंधी उपभोक्ता राजसहायता लगभग 2679 करोड़ रुपये है।

(ग) 29.1.1999 से गरीबी रेखा से ऊपर के उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान्नों और चीनी के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में वृद्धि मुख्यतया राजसहायता को उचित स्तर से बनाए रखने के लिए की गई थी।

चीनी पर आयात शुल्क में वृद्धि

1897. **श्री डी॰ पी॰ यादव: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी पर आयात शुल्क में वृद्धि कर दी गई है; यदि हां, तो कितनी वृद्धि की गई है; और

(ख) क्या चीनी के आयात शुल्क में वृद्धि किए जाने से चीनी का आयात प्रभावित हुआ है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) जी, हां। सरकार ने 14.1.1999 से चीनी के आयात पर सीमा शुल्क 5% से बढ़ाकर 20% करने का निर्णय किया है और उस पर 850/- रुपये प्रति टन का प्रतिशुल्क जारी रहेगा। सीमा शुल्क दर ढांचे में परिवर्तन होने से, 28.2.1999 से चीनी के आयात पर 10% के अधिभार के साथ सीमा शुल्क बढ़कर 25% हो गया है जैसाकि वित्तीय वर्ष 1999-2000 के बजट प्रस्तावों में उल्लेख किया गया है।

(ख) चूंकि चीनी के आयात पर संशोधित सीमा शुल्क कुछ ही दिन पहले लागू किया गया है, इसलिए चीनी के आयातों पर इसके प्रभाव का आंकलन करना जल्दबाजी होगी।

चीनी पर बफर स्टॉक सब्सिडी समाप्त करना

1898. **श्री लक्खीराम अग्रवाल: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले के** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 9 जुलाई, 1998 से चीनी पर बफर स्टाक सब्सिडी समाप्त कर दी है जो पहले चीनी मिलों को दी जाती रही है;

(ख) विगत चार वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा चीनी मिलों को वर्षवार कितनी बफर सब्सिडी प्रदान की गई है; और

(ग) 31 दिसंबर, 1998 की स्थिति के अनुसार गन्ना उत्पादकों का चीनी मिलों पर राज्य-वार बकाया राशि का ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) सरकार द्वारा 10.1.1996 से सृजित किया गया बफर स्टाक 9.7.1998 को समाप्त कर दिया गया है जिसके लिए चीनी प्रतिष्ठानों को ब्याज, भंडारण और बीमा लागतों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ख) पिछले चार वर्षों के दौरान बफर स्टाक रखने की लागत के रूप में चीनी मिलों को दी गई सब्सिडि निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बफर सब्सिडि
1995-96	7.72
1996-97	69.98
1997-98	177.49
1998-99 (31.12.98 तक)	102.78

(ग) 31.12.1998 की स्थिति के अनुसार, चीनी मिलों पर गन्ने के मूल्य की देय बकाया धनराशि (गन्ना उत्पादकों को देय धनराशि) 684.57 करोड़ रुपये थी। इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।